①

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर नि0 762-I/17

प्र0 क0 निगरानी —एक / 17

श्री ... द्वारा आज दि. 2/3/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3·17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कल्लू खंगार तनय गोरेलाल खंगार
निवासी ग्राम गंज तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

.........आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

...........अनावेदक

2/3/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 26.10.2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्र0क0 02/अ—21/2016—17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि, ग्राम गंज, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नं0 599/1/3ख रकवा 1.500 है0 लगानी 3.75 रूपया स्थित मौजा गंज पटवारी हल्का नम्बर—60 राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर की उक्त भूमि आवेदक को शासकीय पट्टे पर विधि अनुसार प्रदाय की गई थी। जिस पर आवेदक वर्तमान में भी काबिज चला आ रहा है। आवेदक एक गरीब व्यक्ति है तथा वह बीमार रहता है। आवेदक के पैर का ऑपरेशन होना है जिसमें करीब 5,00,000/— (पॉच लाख रूपये) खर्च होने की संभावना है। चूँकि आवेदक गरीब

R-762-I/17 (2) ह०/-

06.7.18

आवेदक अभि० श्रीमती रजनी वशिष्ठ एवं शासकीय अभि० श्री शिवराज कौरव उप०।

(2) आवेदक अभि० को सुना गया।

(3) निगरानी मैमो के साथ संलग्न अपर कलेक्टर छतरपुर की आदेश पंजिका दिनांक 17/x/2016 के अनुसार प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रचलित है, जिस पर निर्णय अपेक्षित है। अतः निगरानी PRE Mature होने के कारण अग्राह्य की जाती है।

6.7.18

सदस्य

FO

R.V. 6/7/18

6-7-2018

रीडर